न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.73 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 122)	20.08.2024	01.04.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1. नाबा. कृष्णा पुत्री झमकू संरक्षक रूपा जाति बलाई तह.तालेडा
2. जितेन्द्र पुत्र चेनीराम जाति बलाई निवासी डाबी, तह. तालेडा
3. निर्मला पुत्री चेनीराम जाति बलाई निवासी डाबी, तह. तालेडा
4. नाबा. पीरू पुत्री झमकू संरक्षक रूपा जाति बलाई तह. तालेडा
5. महेन्द्र पुत्र चेनीराम जाति बलाई निवासी डाबी, तह. तालेडा
6. रूपा पुत्री नन्दा जाति बलाई निवासी डाबी, तह. तालेडा
(7) मोहनी पत्नी चेनीराम जाति बलाई निवासी डाबी तह. तालेडा
(मृतक नाम विलोपित किया गया)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री अशोक वशिष्ठ, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी नन्दा आ. रामा को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 1163 / 1357 रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 73/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/122 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये तथा आवंटन की मूल पत्रावली तलब की गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर उक्त भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त है। इस प्रकार आवंटी एवं गैर खातेदारान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 22.11.1975 को अप्रार्थीगण के पूर्वज नन्दा आ. रामा कौम बलाई निवासी डाबी को आवंटन का पात्र मानते हुऐ प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया था तथा आवंटित भूमि का कब्जा दिया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया है। उक्त आवंटित भूमि पर वर्तमान में भी गैर खातेदारान काबिज काश्त है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के तहत आवंटन के 3 वर्ष बाद गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है, जिसके अनुसार आवंटी 3 वर्ष बाद कानूनन गैर खातेदार से स्वतः खातेदार बन चुके है। उक्त आवंटन को 48 वर्ष हो चुके है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को शुरू से रही है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में मियाद को कन्डोन करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। ऐसे में प्रार्थी द्वारा मियाद बाहर पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि नन्दा आ. रामा जाति बलाई निवासी डाबी को दिनांक 22.11.1975 को भूमि खसरा सं. 1163/1357 रकबा 8 बीघा वाकेग्राम डाबी का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम डाबी की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 1163/1357 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है" अंकित किया है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस उक्त आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 30.07.24 के अनुसार मौके पर उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा काश्त किया हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गैर खातेदारान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है।

यहां उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटी नन्दा आ. रामा जाति बलाई निवासी डाबी को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 1163/1357 रकबा 8 बीघा (हाल रकबा 1.2950 हैक्टेयर) वाकेग्राम डाबी दिनांक 22.11.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी